



बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या—FC-...459...

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—२५/०६/२०१९

विषय—

श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम—धुधुआ के खाता संख्या—60, खेसरा संख्या—637, 638, अंचल—घोड़ासहन में नहर चौक—बनकटवा—घोड़ासहन पथ के HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0060 है. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नहर चौक—बनकटवा—घोड़ासहन पथ के HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0060 है. वन भूमि अपयोजन हेतु श्री सिद्धार्थ सिंह, पिता—अनिल सिंह, ग्राम+पो.—बनकटवा, थाना—जितना, जिला—पूर्वी चम्पारण का प्रस्ताव वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान के पत्रांक 1222, दिनांक 11.09.2018 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या—485(ई.) दिनांक 15.04.1994 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.0060 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में FRA 2006 प्रमाण—पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

नियमतः वन (संरक्षण) अधिनियम, संशोधन 2003 के आलोक District Collector को FRA 2006 certificate देने संबंधी कार्रवाई स्टेज—1 की स्वीकृति के पूर्व निर्धारित समय—सीमा में सम्पन्न कर लेनी चाहिए तथा वन संरक्षक को FRA 2006 certificate उपलब्ध कराना चाहिए।

इस प्रकार नियमावली 2003 के अनुसार Stage-I (In-principle Approval) के पूर्व की Time-line में District Collector के द्वारा FRA, 2006 Certificate प्रदान करने का प्रावधान तथा मंत्रालय के पत्र द्वारा यथा वर्णित Stage-I (in-principle Approval) के बाद लगायी गई शर्तों के अनुपालन के समय—सीमा में जिला पदाधिकारी द्वारा FRA 2006 प्रमाण—पत्र प्रदान करने का निर्देश, विरोधभासी प्रतीत होता है। फिर भी मंत्रालय के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में FRA 2006 प्रमाण—पत्र के बिना ही प्रस्ताव को Stage-I स्वीकृति हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map, shape File एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा वृक्षों के पातन संबंधित सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें प्रस्तावित स्थल पर 01 शिशम प्रजाति के वृक्ष के पातन किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा प्रपत्र-II में, प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.1 से कम अंकित किया गया है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

- (i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।
- (ii) 0.0060 हेतु वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में ₹० 6.26 लाख प्रति हेतु के दर से ₹० 3,756/- (तीन हजार सात सौ छप्पन रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या—03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
- (v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक

5-3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय) ,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC- ५५९.....

दिनांक—२०/०६/२०१७

प्रतिलिपि : श्री सिद्धार्थ सिंह, पिता—अनिल सिंह, ग्राम+पो.—बनकटवा, थाना—जितना, जिला—पूर्वी चम्पारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Revised on 20/06/17
(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

O/C